उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3
संख्या-I/259635/71-3-2023
लखनऊ : दिनांक 10 जनवरी, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि फेज-1 के अन्तर्गत संचालित 05 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों, यथा-अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद एवं शाहजहाँपुर में नर्सिंग कालेजों हेतु प्रिंसिपल कम प्रोफेसर एवं वाईस प्रिंसिपल कम प्रोफेसर को संविदा के आधार पर नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-एम0ई0-1/2022/3674, दिनांक 21.11.2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त संलग्न सूची में उल्लिखित विवरण के अनुसार (प्रिंसिपल कम प्रोफेसर के 05 पद तथा वाईस प्रिंसिपल कम प्रोफेसर के 05 पद) अर्थात कुल 10 अभ्यर्थियों को प्रिंसिपल कम प्रोफेसर एवं वाईस प्रिंसिपल कम प्रोफेसर के पद पर संविदा के आधार पर योगदान देने की तिथि से 02 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए नियुक्त/तैनात किये जाने की स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं कि प्रश्नगत पद अभी भी रिक्त हैं:-

(1) संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले नर्सिंग शिक्षकगण यथा प्रिंसिपल कम प्रोफेसर को रु0 1,40,000/- तथा वाईस प्रिंसिपल कम प्रोफेसर को रु0 1,20,000/- नियत मानदेय प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा।

(2) नर्सिंग शिक्षकगण की ड्यूटी 08 घण्टे की होगी। किसी भी कार्य दिवस में अनुपस्थित रहने पर उस दिवस के वेतन की धनराशि प्रदान नहीं की जायेगी।

(3) नर्सिंग शिक्षकगण को आकस्मिक अवकाश/चिकित्सा अवकाश वर्ष में अधिकतम 14 तथा राजपत्रित अवकाश पूर्व में अनुमति के पश्चात देय होगें।

(4) महिला नर्सिंग शिक्षकगण को मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी बेनीफिट एक्ट, 1961 के तहत 180 दिन का अवकाश सवेतन अनुमन्य होगा।

(5) यदि कोई नर्सिंग शिक्षक बिना किसी विशिष्ट कारण अथवा सूचना के अपनी ड्यूटी से एक सप्ताह से अधिक अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सेवायें अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

(6) सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।

(7) संविदा छोड़ने की स्थिति में एक माह पूर्व नोटिस या नोटिस न देने की स्थिति में 01 माह का मानदेय जमा करना होगा।

(8) संविदा नर्सिंग शिक्षकगण सेवा में विनियमितीकरण, स्थायीकरण, पैंशन, बोनस आदि सुविधाओं के हकदार नहीं होगें।

(9) संविदा नर्सिंग शिक्षकगण की सेवायें सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी के उपलब्ध होने पर Last Come First Go के आधार पर तत्काल समाप्त हो जायेगी।

(10) नर्सिंग शिक्षकगण का कार्यकाल अधिकतम 02 वर्ष का होगा। सेवा संतोषजनक होने, आवश्यकता होने पर तथा कार्य एवं आचरण संतोषजनक रहने, सम्बन्धित के विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य न होने, जो कि इनका कार्यकाल बढ़ाये जाने में बाधक हो एवं सम्बन्धित से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए कि इनके विरुद्ध मा0 न्यायालय में कोई अपराधिक वाद नहीं है, के आधार पर सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त कार्यकाल 01 वर्ष हेतु बढ़ाया जा सकेगा।

(11) नर्सिंग शिक्षकगण स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे।

2- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 का शासनादेश संख्या-156557/71-1005(001)20/2021, दिनांक 15.04.2022 में निर्धारित शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगें।

नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से

Signed by संतोष कुमार
(संतोष कुमार) 2023 10:14:53
विशेष सचिव Approved

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया समस्त प्रिंसिपल कम प्रोफेसर तथा वाईस प्रिंसिपल कम प्रोफेसर को अपने स्तर से कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,यथा-अयोध्या/बस्ती/बहराइच/फिरोजाबाद/शाहजहांपुर।
4. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, यथा-अयोध्या/बस्ती/बहराइच/फिरोजाबाद/ शाहजहांपुर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अयोध्या/बस्ती/बहराइच/फिरोजाबाद/शाहजहांपुर।
6. संबंधित नर्सिंग शिक्षकगण।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्या–एम0ई0–1/2023/215 लखनऊः दिनांक 25 जनवरी, 2023

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि प्रिंसिपल कम प्रोफेसर तथा वाईस प्रिंसिपल कम प्रोफेसर के पदों पर संविदा के आधार पर तैनात किये गये अधिकारियों को 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण कराते हुये उसकी सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:–

1– प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, अयोध्या/बस्ती/बहराइच/फिरोजाबाद तथा शाहजहाँपुर।
2– सम्बन्धित अधिकारीगण द्वारा ई–मेल।

(श्रुति सिंह)
महानिदेशक

शासनादेश संख्या-　　　　　　दिनांक　　जनवरी, 2023 का संलग्नक:-

प्रिंसिपल कम प्रोफेसर

क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम	कालेज का नाम
1	कल्पना बोरसे	नर्सिंग कालेज, अयोध्या
2	डा0 पीकेश कुमार	नर्सिंग कालेज, फिरोजबाद
3	स्मिथा फिलिप्स	नर्सिंग कालेज, बहराईच
4	डा0 मालती लोधी	नर्सिंग कालेज, शाहजहांपुर
5	शेवी दास	नर्सिंग कालेज, बस्ती

वाइस प्रिंसिपल कम प्रोफेसर

क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम	कालेज का नाम
1	दिनेश कुमार शर्मा	नर्सिंग कालेज, फिरोजाबाद
2	नीमा वी0 पी0	नर्सिंग कालेज, अयोध्या
3	अपर्णा पाण्डे	नर्सिंग कालेज, शाहजहांपुर
4	शाहीन अख्तर खांन	नर्सिंग कालेज, बस्ती
5	सीमा	नर्सिंग कालेज, बहराईच